



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 357 राँची, शुक्रवार,

7 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 जुलाई, 2020

संख्या--5/आरोप-1-46/2017-6929 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सुबोध कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा के विरुद्ध इन्दिरा आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में लाभुकों की निर्धारित संख्या (लक्ष्य) 81 के विरुद्ध 204 लाभुकों का चयन करना तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में लाभुकों की निर्धारित संख्या(लक्ष्य) 197 के विरुद्ध 296 लाभुकों का चयन करना, आदेश की अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता बरतने, वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्धारित लक्ष्य 197 से 93 अधिक लाभुकों के चयन को छिपाने हेतु वर्ष 2010-11 की मूल योजना अभिलेख गायब करने तथा फर्जी योजना पंजी तैयार कर अभिलेखों में हेरफेर करना, संदिग्ध आचरण करने एवं वर्ष 2010-11 में प्रति इकाई इंदिरा आवास के लिए कर्णांकित राशि ₹0 45000/- के विरुद्ध योजना पंजी एवं रोकड़ बही के अनुसार 28 लाभुकों को ₹0 45000/- से अधिक का भुगतान करने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1348, दिनांक 17.03.2017 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।
4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No	Employee Name G.P.F No	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUBODH KUMAR 110081163092	श्री सुबोध कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
